फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

लेहरी बाई रेगर निवासी रेगर मोहल्ला, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 44/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 04.09.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से जरिये पत्रांक आर.टी.आई./23/271-72 दिनांक 24.08.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन का अवलोकन किया गया, आवेदन में चाही गई सूचना तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक आर. टी.आई./ 23/117 दिनांक 27.06.2023 से प्रार्थीया को तैयार सूचना के नियमानुसार राजकोष में राशि 2/- रूपये या पोस्टल ऑर्डर जमा कराने हेतु सूचित किया गया था परन्तु बावजूद सूचना के अपीलार्थी द्वारा तैयार सूचना के नियमानुसार राजकोष में राशि 2/- रूपये या पोस्टल ऑर्डर जमा नही कराये गये। अतः उक्त अपील को खारिज फरमाया जावें। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./ 23/117 दिनांक 27.06.2023 से प्रार्थीया को तैयार सूचना के नियमानुसार राजकोष में राशि 2/- रूपये या पोस्टल ऑर्डर जमा कराने हेतु सूचित किया गया था परन्तु बावजूद सूचना के अपीलार्थी द्वारा तैयार सूचना के नियमानुसार राजकोष में राशि 2/- रूपये या पोस्टल ऑर्डर जमा नही कराये गये। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)